न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 34/2021

1. कजोड पुत्र बरदू
2. रूपनारायण पुत्र बरदू

समस्त जाति माली निवासी ग्राम रजवास शेरसिंह तहसील लवाण जिला दौसा दौसा
...अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 9.06.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार लवाण प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड वगै0 प्रकरण संख्या 02/2021 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 7.10.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार लवाण ने दिनांक 09.06.2021 को ग्राम रजवास तहसील लवाण के आ0ख0 नं0 390 रकबा 0.02 है. किस्म सिवायचक (गै0मु0रास्ता) भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, फसल नीलामी एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि नायब तहसीलदार लवाण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.06. 2021 विधि प्रक्रिया, तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट्स ने भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 0. 01है0 पर कथित रूप से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट्स पर अतिक्रमण की एक गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तहसीलदार लवाण के समक्ष प्रस्तुत की जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांटस व उसके सहखातेदारो की भूमि खसरा नंबर 379 से 389 व 391, 392 610 से 615, 617 से 620, 622 कुल किता 24 रकबा 5.45है0 स्थित है। अपीलांट्स व अन्य सभी भाई उक्त भूमि में सह खातेदार है। इस संबंध में एक वाद भी न्यायालय सिविल जज, दौसा के यहॉ उक्त भूमि में से अवैध रूप से जबरन रास्ता निकाले जाने के संबंध में चल रहा है, जिसमें यथास्थिति के आदेश हो रहे है। उक्त भूमि जिसका विवरण उपर दिया गया है उसके पास होकर ही खसरा नंबर 390 गै0मु0रास्ता आ जा रहा है। अपीलांट्स ने उक्त रास्ते में कतई अवरोध पैदा नहीं किया है लेकिन उसकी नाप जोख को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा कर खसरा नंबर 390 ... में मिन अपीलांटस व उनके भाईयों की खातेदारी भूमियों से बेदखल ... किया जा रहा था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को ... सुनवाई का अवसर नहीं ... बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को बेदखली का आदेश पारित करने से पूर्व खसरा नंबर 390 व अपीलांटस भाईयों की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का सीमाज्ञान कराये बिना ही अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....2 पर

को बेदखल करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट्स एक सदभावी खातेदार है व सदभावी रूप से अपनी भूमि पर काबिज है। यदि फिर भी कोई विवाद है तो उस विभाग को भू प्रबंध विभाग से नाप जोख करवाई जाकर समाप्त करवाया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपीलांटस के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर कानूनी गलती की है। उक्त आदेश की आड में अपीलांटस को भारी पुलिस बल से उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने का प्रयास भी किया गया था जिसके संबंध में अलग से अवमानना याचिका संबंधित न्यायालय में पेश की जावेगी। अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस दिनांक 9.6.2021 को नोटिस के बाद उपस्थित होने पर यह बतलाया गया कि उक्त प्रकरण में जब भी आवश्यकता होगी अपीलांट को नोटिस देकर बुलाया जावगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9.6.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा वरवक्त बहस दस्तावेज सूची मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी रजवास शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट रूपनारायण नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2078 में राजकीय सिवायचक गै0मु0रास्ता भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 0.02है0 पर चरी/ज्वार की बुवाई की जाकर अतिचार किया जाना अंकित है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद/स्थगन होने बाबत कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांटस द्वारा राजकीय सिवायचक गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नंबर 390 पर कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस दस्तावेज सूची मय सिविल न्यायालय दौसा में विचाराधीन मु0नं0 58/2020 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट् रूपनारायण नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है लेकिन कोई साक्ष्य या स्थगन आदेश की प्रति आदि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली में संलग्न सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 3.7.2020 का अवलोकन किया गया। स्थगन आदेश में खसरा नंबर 390 में [illegible] कार्य करने हेतु अप्रार्थी स्वतंत्र होना बताया है। खसरा नंबर 390 [illegible] सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलांटस अपनी खातेदारी भूमि का सक्षम अधिकारी [illegible] करवाने हेतु आवेदन पत्र देकर सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। यदि खातेदारान अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराना चाहते हैं तो तहसीलदार लवाण के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन कर सीमाज्ञान करा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्ताक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....3 पर

राजस्व अपील सं0 34 / 2021

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested